लय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी– उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)

संख्या : 09/2017
दायर : 07.02.2017

अनवान

नाराण पिता मगना जाति जाट निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
रामकंवार पिता मगना जाति जाट निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
कैलाश पिता मगना जाति जाट निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
. मु0 नन्दू पुत्री मगना जाति जाट निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
. मु0 फुमा पत्नि मगना जाति जाट निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
5. भोलु पिता भूरा जाति जाट निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।

प्रार्थीगण

बनाम

1. भंवरसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
2. उम्मेदसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
3. बनवीरसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
4. मु0 सुगनकंवर पुत्री भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
5. मु0 जस्सू कंवर पत्नि भैरूसिंह जाति राजपुत निवासी धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
6. कन्हैयालाल पिता देबीलाल जाति जाट निवासीधामनिया तहसील माण्डलगढ़।
7. शाखा प्रबन्धक एस.बी.आई. धामनिया तहसील माण्डलगढ़।
8. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा।

अप्रार्थीगण

उपस्थित :–

1. श्री संजय चौहान (अधिवक्ता प्रार्थीगण)।
2. श्री गिरधारी लाल आचार्य (अधिवक्ता अप्रार्थीगण)।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251–ए(2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

–: निर्णय :–

दिनांक : 28.10.2021

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए (2) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि यह कि ग्राम धामनिया पटवार हल्का धामनिया के खाता संख्या 288 की आराजी संख्या 489 रकबा 1 बीघा 18 बिस्वा, आराजी संख्या 511/2 रकबा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 639 रकबा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 640 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 666 रकबा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 667 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 668 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 2101/487 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 2103/572 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 9 रकबा 13 बीघा 8 बिस्वा एवं आराजी संख्या 2316/670 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 2318/676 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा, आराजी संख्या 2320/1652 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा एवं खाता संख्या 41 की आराजी संख्या 131/1 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, आराजी संख्या 167/1 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा, आराजी संख्या 168 रकबा 11 बिस्वा, आराजी संख्या 430/1 रकबा 15 बिस्वा, आराजी संख्या 436/1 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा, आराजी संख्या 437 रकबा 6 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 626 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा, आराजी संख्या 664 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा, आराजी संख्या 718 रकबा 3 बीघा 19 बिस्वा, आराजी संख्या 722 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा, आराजी संख्या 723 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा, आराजी संख्या 724 रकबा 13 बिस्वा, गे०मू० आ०चा०, आराजी संख्या 725 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा गेर

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

आराजी संख्या 735 रकबा 4 बीघा 7 बिस्वा गेर मुमकिन, आराजी संख्या 748 रकबा 17 ाराजी संख्या 752 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, आराजी संख्या 755 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा, संख्या 805/1 रकबा 11 बिस्वा कुल किता 19 रकबा 44 बीघा 9 बिस्वा भूमि खातेदार ाल पिता देबीलाल जाट सा०देह खातेदार। प्रार्थीगण व विपक्षीगण की भूमि जहां स्थित है मणिया उपखण्ड माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा। यह कि प्रार्थनापत्र में वर्णित भूमि जो ग्राम ा पटवार हल्का धामणिया में स्थित है। उक्त भूमि का रास्ता नाहरगढ गांव से धामणिया ी मुख्य सडक से लगते खेतो की ओर जाने वाली कच्ची गडार रास्ते से लगती हुई ण व विपक्षीगण की आराजीयात आती है। तथा उक्त आराजीयात में पहुंचने के लिये ण को विपक्षी कन्हैयालाल पिता देबीलाल जाट की खातेदारी आराजियात की खाता संख्या ी आ0न0 664 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा भूमि गे०मू० रास्ता की पूर्वी मेर पर होकर व गण भंवरसिह उम्मेदसिह, बनवीरसिह मु० सुगनकंवर, भु० जसूकंवर बेवा भेरूसिह की ारी खाता संख्या 379 की आ0न० 2316/670 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि की पश्चिम दिशा नो आराजियात के मध्य में करीब 20 फीट चोडा रास्ता कच्चा होकर प्रार्थीगण व विपक्षीगण पयोग उपभोग में पीढी दर पीढी किया जा रहा है। तथा विपक्षीगण के द्वारा अपनी जियात की सुरक्षा हेतु वर्षो पूर्व बने हुये रास्ते जो 20 फीट के मध्य में जे.सी.बी. मशीन से बंधा कर रास्ता बन्द कर दिया है। जिससे प्रार्थीगण अपनी आराजियात मे पहुचने व ट्रेक्टर साधन आदि नही ले जा सक रहे व रास्ते का उपयोग उपभोग करने मे वचित हो रहे तथा भारी नाईयो से गुजरना पड़ रहा है तथा प्रार्थीगण की फसल को विकसित व आबाद करने में ानी हो रही है। इसलिए ऐसी स्थिती में उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड में अंकित कराया जाना श्यक एवं न्याय संगत है। अगर न्यायालय उचित समझे तो प्रार्थीगण नियमानुसार डी.एल.सी. जमा कराने को तैयार है। विपक्षीगण दिनांक 01.07.2016 को रास्ते में गुजरने में बाधाए उत्पन्न रहे है तथा बैक के भूमि रहन होने से पक्षकार बनाया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का र्थनापत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को अपनी आराजियात पर पहुंचने के लिए खाता ख्या 41 की आ0न0 664 की 1 बीघा 12 बिस्वा की पूर्वी मेर पर होकर व खाता संख्या 379 की 0न० 2316/670 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा भूमि की पश्चिम दिशा के दोनों आराजियात के मध्यम स्थित रास्ता 20 फीट चोडा को राजस्व रेकार्ड में अंकित कराया जाने का आदेश प्रदान कराया ावें।

बाद जांच प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को नोटिस सम्मन मय कल प्रार्थना पत्र भेज कर तलब किया गया।

दिनांक 09.01.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ के पत्र क्रमांक कोर्ट/2019/20 दिनांक 04.01.2019 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार माण्डलगढ़ द्वारा अवगत करवाया गया कि प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि ग्राम धामनिया पटवार मण्डल धामनिया की आराजी संख्या 666, 667, 668, व 669 पर पंहूचने के लिये विपक्षीगण के आराजी संख्या 664, 2316/670 में से 20 फीट चौड़े रास्ते हेतु मांग करते हुए आवेदन किया है। प्रार्थी की आराजी पर पंहूचने के लिये मौके पर व राजस्व रिकार्ड में अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी की आराजी पर पंहूचने के लिये उनके द्वारा मांगा गया रास्ता लघुतम है। विपक्षी की खाते की 3 बिस्व भूकिम रास्ते के उपयोग हेतु प्रार्थी की मांग के अनुसार रास्ते हेतु उपयोग में ली जावेगी। रास्ते हेतु 3 बिस्वा भूमि का उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 390060 प्रति बीघा से 58509 बनती है। दुगुनीदर 117018 रूप्या होगी।

दिनांक 20.10.2020 को अप्रार्थी संख्या 6 कन्हैयालाल पिता देबीलाल जाति जाट निवासी धामनिया द्वारा प्रार्थना अन्तर्गत धारा आदेश 9 नियम 7 सी.पी.सी. का पेश कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी संख्या 6 के विरूद्व न्यायालय श्रीमान द्वारा दिनांक 06.08.2020 को पूर्व तामील मानते हुये एक तरफा आदेश पारित किया गया है। जबकि विपक्षी संख्या 6 को न्यायालय श्रीमान द्वारा कोई नोटिस सूचनापत्र प्रेषित नही किया गया है ओर न ही विपक्षी को

उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner

[...]मा है। उक्त प्रकरण का गुणावगुण के आधार पर [...]
सख्या 6 को उक्त प्रकरण में सुना जाना आवश्यक एवम न्याय संगत है अन्यथा विपक्षी 6 को असहनीय क्षति होगी। विपक्षी सख्या 6 अपनी खातेदारी भूमि से रास्ता नहीं देना है क्योकि मोके पर कोई रास्ता दर्ज नही है। न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा आदेश 06.08.2020 को अपारत्त किया जाकर विपक्षी संख्या 6 को सुनवाई का समुचित अवसर जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि न्यायालय श्रीमान द्वारा एक तरफा आदेश दिनांक 06.08.2020 को अपास्त किया जाकर विपक्षी संख्या 6 को उक्त [...]ण में सुनवायी का समुचित अवसर प्रदान कराये जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

दिनांक 28.10.2021 को प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर [...]न किया कि प्रार्थनापत्र की कलम न० 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थनापत्र की कलम न० 2 [...]कार है क्योकि विपक्षी संख्या 6 कन्हैयालाल को न्याय आपके द्वारा केम्प में नोटिस दिया तथा [...]वली की फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर उपस्थित बाबत किये व अन्य विपक्षी के भी हस्ताक्षर फर्द [...]काम पर अंकित है तथा सम्पूर्ण प्रकरण की जानकारी विपक्षी न0 6 को हैं केवल मात्र प्रकरण कार्यवाही को स्थगित रखकर समय गुजारी करना चाहते है तथा प्रकरण में कई अहकाम पर [...]ाक्षर होने से ही उपस्थिती मानकर न्यायालय ने एक तरफा के आदेश पारित किये जो उचित [...]देश पारित हैं तथा प्रकरण करीब 4 साल से जैर कार्यवाही होकर विचाराधीन हैं। यह कि [...]र्थनापत्र की कलम न० 3 अरवीकार है। क्योकि विपक्षी संख्या 6 की आराजी न0 664 रकबा 1 [...]घा 12 बिस्वा भूमि गैर मुमकीन रास्ता राजस्व जमाबन्दी मे दर्ज है तथा विपक्षी न० 6 के खिलाफ [...]रित एकतरफा आदेश उचित है तथा विपक्षी न० 6 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज योग्य है [...]था विपक्षी का प्रार्थनापत्र अवधि पार होकर खारिज योग्य है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि [...]पक्षी न0 6 के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र को खारिज फरमावे तथा प्रकरण में अग्रीम आदेश जारी किया जावे।

दिनांक 28.10.2021 को पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प धामनिया में पेश हुई। पत्रावली में संलग्न दस्तावेज, राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 दिनांक [...]901.2020 को तहसीलदार माण्डलगढ़ से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में अवगत करवाया गया कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहुंचने का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। चाहा गया रास्ता लघुतम है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

अतः राजस्थान कास्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–ए (क) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये एवं संशोधित अधिसूचना नम्बर F3(2) rev.6/03/pt./7 दिनांक 02.03.2012 नियम 70 (1)(।।) () के अनुसरण में ग्राम धामनिया पटवार हल्का धामनिया की आराजी संख्या 666, 667, 668, व 669 पर पंहूचने के लिये विपक्षीगण की ग्राम धामनिया पटवारी हल्का धामनिया के आराजी संख्या 664 रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा की पूर्वी में पर एवं आराजी संख्या 2316 / 670 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा की पश्चिम दिशा में से 3 बिस्वा भूमि रास्ता हेतु उपयोग होगा जिसकी डी.एल.सी. दर 390060 रूप्या प्रति बीघा से 58509 रूपया की दुगूनी से 117018 रुपया प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण को अदा किये जाने पर एवं अप्रार्थीगण द्वारा इन्कार किये जाने की स्थिति में राजकोष में मद 8443–00–103–00–00 प्रतिभूति जमा करवाने पर गै.मु. रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रास्ता रहेगा। तहसीलदार माण्डलगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में रास्ता अंकन करावें।

आदेश आज दिनांक 28.10.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उत्साह चौधरी (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
माण्डलगढ़

Scanned with CamScanner